

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

जनपद- शामली में इन्द्रप्रस्थ गैस लि०, नई दिल्ली द्वारा शिव चौक शामली से थाना भवन तिराहा, (कि०मी० चैनेज 98.845 से 118.345) कुल लम्बाई 19.500 में 12" डायामेटर भूमिगत नेचुरल गैस पाईप डालने हेतु 0.975 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बिना वृक्ष पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं० एफपी/यू०पी०/अदर्स/121963/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या टी 113 /81-2-2021-800(97)/2021, दिनांक 14 जुलाई 2021 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

हस्ताक्षर

()
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

दिनांक :- 14/07/2021

(आशीष तिवारी)
सचिव
पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।